285 Correction of PHALGUNA 5, 1899 (SAKA) Matters under Rule 377 286

Answer (Statement)

23 दिसम्बर, 1977 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 533 के अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया था, उसमें अन्य बातों के साथ साथ वस्तुत: यह बताया गया था कि राज्य व्यापार निगम, भारतीय इंजीनियरी उद्योग एसोसियेशन और मूल रसायन भेषज एवं प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद् ने 42वें केन्टन मेले में भाग लिया। इन संगठनों ने 41वें केंटन मेले में भाग लिया था। सरकारी क्षेत्र के जिन भारतीय संगठनों ने 42वें केंटन मेले में भाग लिया था। सरकारी क्षेत्र के जिन भारतीय संगठनों ने 42वें केंटन मेले में भाग लिया था वे हैं राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (अन्तर्राष्ट्रीय) और सेल अन्तर्राष्ट्रीय।

उसी संदर्भ में यह भी बताया गया था कि निम्नलिखित चीनी निगमों को भारत ग्राने के लिये श्रामंत्रित किया गया था:

- (1) चीन राष्ट्रीय हल्के ग्रीद्योगिक उत्पाद व निर्पात निगम
- (2) चीन राष्ट्रीय धातु व खनिज श्रायात व निर्यात निगम
- (3 चीन राष्ट्रीय मशीनरी श्रायात व निर्यात निगम
- (4) चीन राष्ट्रीय रसायन श्रायात व निर्यात निगम
- (5) चीन राष्ट्रीय तकनीकी श्रायात निगम, श्रीर
- (6) चीन राष्ट्रीय भ्रनाज, तेल व खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन निगम । ; वस्तुतः इन निगमों में से केवल पहले पांच निगमों को ही भ्रामंत्रित किया गया है।

12.58 hrs.

.

ELECTION TO COMMITTEE

RUBBER BOARD

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND

CIVIL SUPPLIES AND COOPERA-TION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL): Sir, on behalf of Shri Arif Baig, I beg to move the following:

"That in pursuance of sub-section (3) (e) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act."

MR. SPEAKER: The question is:

"That is pursuance of sub-section (3) (e) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct two members from among themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act.

The motion was adopted.

12.59 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED DISMISSAL OF WORKERS
IN BANMAUR CEMENT FACTORY IN
MORENA DISTRICT

श्री छिवराम ग्रगंल (मुरैना): ग्रध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के ग्रन्तर्गत इस सदन का ध्यान ग्राकिषत करना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश के जिला मुरैना में स्थित वानमौर ए०सी०सी० सीमेंट फैक्ट्रो में कामः कर रहे 100 मजदूरों को इंटक यूनियन के इशारे पर प्रबन्धकों ने बिना कारण बताये सेवा से पृथक कर दिया गया है। इस कारण 100 परिवारों की भूखों मरने की स्थिति पैदा हो गई है। इन निकाल गये मजदूरों के स्थान पर ग्रन्य मजदूरों को सेवा में ले लिया। गया है।